समक्ष के. कन्नन माननीय न्यायमूर्ति

श्री कुंदनमल दब्रिवाला और अन्य, - याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स डिब्रिवाला स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (इक्विडेशन में) और अन्य,- उत्तरदाताओं

सी. पी. नं. 51/2006 (ओ एंड एम)
2 मार्च, 2009

कंपनी अधिनियम, 1956-एस। 391, 393, 394 और 446कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959- उच्च न्यायालय ने एक कंपनी को बंद करने का आदेश दिया-लगभग 11 वर्षों के बाद कंपनी के पुनरुद्धार की मांग करने वाले शेयरधारक-विभिन्न तिमाहियों से परस्पर विरोधी दावे- प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सुरक्षित लेनदारों द्वारा आपत्तियां-ओएल भी आपत्तियां कर रहा है- पहले से ही बेची जा चुकी कंपनी का संयंत्र और मशीनरी-अवशिष्ट संपत्ति केवल जमीन का एक खाली टुकड़ा-क्या इसे कंपनी को पुनर्जीवित करने का प्रामाणिक दावा कहा जा सकता है-आयोजित, हाँ -उद्योग शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात-संपत्ति और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता-उपलब्ध औद्योगिक केंद्र में भूमि-कंपनी अपनी योजनाएं बना सकती है और एक फाइनेंसर को प्रेरित कर सकती है-पुनरुद्धार के प्रस्ताव के लिए कोई अपवाद नहीं-याचिका की अनुमति है।

अभिनिर्धारित किया गया कि किसी डिक्री का परिहार, जो कंपनी के कहने पर संभव है, तब पूर्ण हो जाता है जब यह बचाव किया जाता है कि डिक्री धारा 446 के अधीन स्थगन के प्रवर्तन के आधार पर निष्पादित करने योग्य नहीं थी।(1). अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय जब किसी पक्ष को शून्य या शून्य अनुबंध के दायित्वों से मुक्त करता है, तो उसके पास विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 33 के तहत उस पक्ष को हुए नुकसान को बहाल करने की शक्ति है जिसका अनुबंध शून्य या शून्य पाया गया है।
(Para 19)
इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया किः-

(i) 5वां प्रत्यर्थी, मेसर्स साकेत स्टील्स (पी) लिमिटेड रुपये का भुगतान करने का हकदार होगा। 1,00,000 और रु। कंपनी द्वारा राशि प्राप्त होने की संबंधित तारीखों से @12% ब्याज के साथ 50,000।

(ii) मेसर्स फ्रेशनेस कोटिंग्स (पी) लिमिटेड के पक्ष में बिक्री की पुष्टि के लिए आवेदन को उस राशि की वापसी का अधिकार होगा, जो अदालत में जमा की जाती है और नीलामी में बोली के रूप में राशि का 5% की राशि प्राप्त करती है और जिसके लिए बिक्री की पुष्टि मांगी गई है।

(iii) आधिकारिक परिसमापक द्वारा तय की गई और रिपोर्ट में व्यक्त की गई राशियों को अनुमोदित किया जाता है और रिपोर्ट में विस्तृत राशियां कंपनी द्वारा देय हो जाएंगी।

(iv) विद्युत बोर्ड को देय ओएल द्वारा निर्धारित राशि के अलावा, एचएसईबी और उसके उत्तराधिकारी डीएचबीवीएनएल के पास ऊर्जा प्रभारों के संबंध में स्वतंत्र रूप से एक उपाय होगा और इस संबंध में मध्यस्थ या आधिकारिक परिसमापक की टिप्पणियां खाली हो जाएंगी।

(v) OL के साथ जमा की गई राशि और या किसी भी कमी से ऊपर बताई गई राशि, याचिकाकर्ता 12% p.a पर ब्याज के साथ संबंधित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस आदेश की तारीख से भुगतान की तारीख तक। देय और देय राशि के लिए कंपनी की शेष संपत्ति पर एक शुल्क होगा।

(Para 30)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आनंद छिब्बर, रंजीत चावला और राकेश कुमार पेश हुए।

सुश्री संगीता ढांडा, एच. एस. ई. बी की अधिवक्ता।

चेतन मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक सूरी, अधिवक्ता और गौरव कथुरिया, नीलामी खरीदार के अधिवक्ता।R.K. Battas, अधिवक्ता और S.K. बातिश, मेसर्स साकेत स्टील्स लिमिटेड के अधिवक्ता।

कमल सहगल, अधिवक्ता और H.R. भारद्वाज, एचएसआईआईडीसी के अधिवक्ता।

नीरज खन्ना, आधिकारिक परिसमापक के अधिवक्ता।

B.B. बग्गा, एसबीआई के वकील।

पुनीत गुप्ता, अधिवक्ता और आलोक जैन, एचएफसी के अधिवक्ता।

के. कन्नन, माननीय न्यायमूर्ति .

<u>पुनरुद्धार के लिए याचिका और प्रमुख विरोधकर्ता:</u>

(1) कंपनी जिसे बंद करने का आदेश दिया गया था कंपनी याचिका सं। 1995 की धारा 31 को कंपनी याचिका सं. 2006 का 51, याचिकाकर्ताओं के कहने पर सं. 1 से 6 तक, जो कंपनी के प्रमुख इक्विटी शेयरधारक होने का दावा करते हैं। याचिकाकर्ता नं. 7, श्री संजय गुलाटी का प्रतिनिधित्व कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए फाइनेंसर/सह-प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। याचिका का कई व्यक्तियों और

मुख्य रूप से आधिकारिक परिसमापक द्वारा विरोध किया गया है, जिन्होंने प्लॉट नं. 142, सेक्टर 24, फरीदाबाद। मेसर्स साकेत स्टील्स लिमिटेड ने उसी संपत्ति के संबंध में एक दीवानी मुकदमे में विशिष्ट निष्पादन के लिए एक डिक्री प्राप्त की है। 1990 का 66 और उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष डिक्री के निष्पादन की मांग की है। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड पुनरुद्धार के प्रस्तावों के खिलाफ इस आधार पर एक अन्य प्रमुख दावेदार है कि उसी कार्यवाही से उत्पन्न धन के दावे अभी भी असंतुष्ट हैं और पुनरुद्धार के लिए याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मेसर्स फ्रेशनेस कोटिंग्स (पी) लिमिटेड, जो सफल बोलीदाता रही है और जिसकी बिक्री आधिकारिक परिसमापक द्वारा पुष्टि के लिए मांगी गई है, इस आधार पर याचिका का विरोध करेगी कि संपत्ति की बिक्री जो रुपये के पक्ष में की जा रही है। 4.10 करोड़ रुपये अब किसी अन्य व्यक्ति के आग्रह पर पूर्ववत करने की मांग की जाती है जो 7 वां याचिकाकर्ता है और यह केवल किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति बेचने के लिए एक चाल है और विशेष रूप से संयंत्र और मशीनरी के बाद कंपनी के पुनरुद्धार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 136, सेक्टर 24, फरीदाबाद को पहले ही बेच दिया गया था और पुनरुद्धार की मांग उस समय की जा रही है जब औद्योगिक शेड, प्लॉट नं। 142, सेक्टर 24, फरीदाबाद का अभी तक कोई पता नहीं चला है। दावों से उत्पन्न होने वाले दावों और प्रति-दावों को इस तथ्यात्मक संदर्भ में समझना होगा कि कार्यवाही कैसे शुरू की गई और मामला इन सभी वर्षों में कैसे चला जब तक कि संपत्ति की अंतिम वस्तु बेची गई और पुष्टि की प्रतीक्षा की गई और जब कंपनी के पूर्व निदेशकों के कहने पर कंपनी के पुनरुद्धार के लिए याचिका दायर की गई।

II. वास्तविक पृष्ठभूमिः

(2) मेसर्स डाबरीवाला स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (इसके बाद डीएसईसीएल के रूप में जाना जाता है) को 1970 में पश्चिम बंगाल राज्य में निगमित किया गया था और बाद में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को फरीदाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि प्लॉट नं। 136, सेक्टर 24, फरीदाबाद इकाई नं. 1. कंपनी की एक और इकाई प्लॉट नं. 142, सेक्टर 24, फरीदाबाद इकाई नं. 2. कंपनी ने वर्ष 1972-73 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था, लेकिन गंभीर वित्तीय बाधाओं के कारण यह विफल रहा। फैक्ट्री को 27 अप्रैल, 1985 को बंद कर दिया गया था और कंपनी ने Sick.Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 के प्रावधानों के तहत पुनर्वास के लिए BIFR से संपर्क किया था। संदर्भ पंजीकृत किया गया था और सुनवाई के बाद आईआरबीआई को एक संचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। पुनर्वास के लिए प्रारंभिक बातचीत काम नहीं कर पाई और अंततः बी. आई. एफ. आर. ने इस आधार पर कंपनी को बंद करने की सिफारिश की कि कंपनी आर्थिक और व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हो गई थी। कंपनी ने बंद करने के निर्देश का विरोध करते हुए बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एस. आई. सी. ए.) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका

दायर की और बंद करने को रोकने के उनके सभी प्रयास विफल रहे। उच्च न्यायालय ने C.P. में समापन आदेश पारित किया। नं. 24 फरवरी, 1995 को 1995 का 31 और न्यायालय से संलग्न आधिकारिक परिसमापक को डी. एस. ई. सी. एल. के लिए परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया था।

(3) न्यायालय द्वारा जारी आदेश के परिणामस्वरूप, सरकारी परिसमापक ने इकाई सं. 1 और 2. हरियाणा राज्य वित्तीय निगम, प्रत्यर्थी नं. 3 उच्च न्यायालय की बोली पर सुरक्षित लेनदारों में से एक होने के नाते प्लॉट नं. 136 रुपये के कुल बिक्री विचार के लिए। 4.10 करोड़ और इस न्यायालय ने 17 सितंबर, 2004 को मेसर्स एक्सेल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की। भारतीय स्टेट बैंक-उत्तरदाता नं. 2 प्लॉट नं. 2 वाली कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में एक सुरक्षित लेनदार था। 142, सेक्टर 24 और इससे डी. एस. ई. सी. एल. द्वारा बकाया ऋणों का भुगतान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में रुचि रखते थे। भारतीय स्टेट बैंक ने प्लॉट नं. 142, सेक्टर 24 और एक बैठक के बाद जो आधिकारिक परिसमापक ने आयोजित की थी, प्लॉट नं। 142, सेक्टर 24, फरीदाबाद पर कब्जा कर लिया गया और न्यायालय के 9 फरवरी, 2006 के आदेश के अनुसार प्लॉट नं. 142 व्यापक प्रचार देकर सुरक्षित लेनदारों के सहयोग से।
हे।

<u>पूर्व निदेशकों द्वारा दावों के निपटारे के लिए एक साथ प्रयास बीवी ओटीएसः</u>

(4) साथ ही प्लॉट नं में संपत्ति के निपटान के लिए आधिकारिक परिसमापक के प्रयासों के साथ। 142, कंपनी के पूर्व निदेशकों और अधिकांश शेयरधारकों ने भारतीय स्टेट बैंक और हरियाणा वित्तीय निगम के साथ एकमुश्त निपटान के साथ-साथ श्रमिकों के दावों का निपटान करने की पहल की थी। तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा दावा किए गए बकाया का भुगतान निदेशकों द्वारा मांग की शुद्धता को चुनौती देने के लिए आरक्षण के साथ किया गया था। चौथे प्रत्यर्थी-एच. एस. आई. डी. सी. ने अपने दावे का भुगतान करने के लिए एक ओ. टी. एस. प्राप्त किया। 4,99,500। असंतुष्ट रहने वाले दावे हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और उसी संपत्ति के संबंध में विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे में डिक्री-धारक के दावे थे। खरीदार मेसर्स फ्रेशनेस कोटिंग (पी) लिमिटेड के दावे का समर्थन करने वाले आधिकारिक परिसमापक की आपत्तियां भी बच गईं।

<u>IV.</u> <u>पुनरूद्धार की प्रस्तावित योजना;</u>

(5) पुनरूद्धार, जैसा कि निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है, मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए याचिका में गिना गया हैः -

(क) बेचे गए औद्योगिक भूखंड की कीमत 1995 में कंपनी के बंद होने की तारीख से कई गुना बढ़ गई है और उस समय की परिस्थिति जब कंपनी बी. आई. एफ. आर. के अधीन आ गई थी, जब कंपनी की देनदारियां बहुत अधिक थीं, कंपनी की अचल संपत्तियों के मूल्यांकन में काफी वृद्धि से परिसंपत्तियां बदल गई थीं।

(ख) कंपनी द्वारा देय सभी ऋणों की उचित गणना पर यदि लेनदारों के दावों की समीक्षा एकमुश्त निपटान के आधार पर की जानी थी, तो सभी ऋणों का परिसमापन करना संभव था और फिर भी कंपनी की मूल्यवान परिसंपत्तियों को बेचे जाने से बचाया जा सकता था।

(ग) याचिकाकर्ता नं. 7, एक वित्तपोषक और सह-प्रवर्तक कंपनी-इन-लिक्विडेशन और इसकी देनदारियों को निधि देने के लिए तैयार था और लेनदारों ने जो केवल ऋणों के पुनर्भुगतान की तलाश कर रहे थे, उन्होंने ओटीएस के संबंधित प्रस्तावों के लिए इच्छा व्यक्त की थी, जो कंपनी के लिए फायदेमंद था।

(घ) डाबरीवाला के प्रवर्तकों के गुलाटी औद्योगिक फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजीव गुलाटी के साथ लंबे समय से संबंध थे, जिसका औद्योगिक शेड प्लॉट नं। 262-एम, सेक्टर 24, फरीदाबाद जो प्लॉट नं. 142 और वे सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी ओटीएस नीतियों का पालन करके सभी लेनदारों को अग्रिम भुगतान करने में कंपनी की सहायता करने के लिए तैयार थे।

(ड) एक आवश्यक पारस्परिक लाभ के रूप में कंपनी के पूर्व निदेशक श्री संजय गुलाटी के साथ प्रमुख हिस्सेदारी सौंपने के लिए तैयार थे, जिन्होंने उसी भूखंड पर इस्पात और जाली इकाई स्थापित करके डी. एस. ई. सी. एल. को पुनर्जीवित करने पर सहमति व्यक्त की थी। श्री संजय गुलाटी, जिन्हें प्रबंध निदेशक बनाया जाना था, के तहत पुनरोद्धार के लिए याचिका में शेयरधारिता पैटर्न के विस्तृत सूत्रीकरण का भी विवरण दिया गया है। 85% से अधिक इन्क्वायरी शेयरहोल्डिंग श्री संजय गुलाटी के पास होनी थी और 15% इन्क्वायरी शेयरहोल्डिंग श्री K.K के पास होनी थी। डी. एस. ई. सी. एल. के मौजूदा शेयरधारकों की ओर से डाबरीवाला।

V. <u>वित्तीय गणना और पुनरुद्धार के लिए आपत्तियों का आधार;</u>

एचएफसी का संकट

(6) कंपनी के पुनरुद्धार पर आपत्तियां कई तिमाहियों से गुजरी हैं। आधिकारिक परिसमापक ने स्वयं एक रिपोर्ट दायर की है जिसमें परिसमापन में कंपनी के खाते में उपलब्ध राशि का विवरण दिया गया है। 31 मार्च, 2008 को उनके एफडीआर सहित 75,37,054 और रु। 10,21,740। जमा की गई राशि में रु। मेसर्स फ्रेशनेस कोटिंग्स (पी) लिमिटेड द्वारा प्लॉट नं. 25,00,000 पर स्थित कंपनी की संपत्ति की खरीद के लिए

जमा किया गया। 142, सेक्टर 24 और जिसके संबंध में आवेदन, C.A के माध्यम से पुष्टि की प्रतीक्षा की गई थी। नं. 2006 का 296. चार्टर्ड एकाउंटेंट के मूल्यांकन शुल्क और पेशेवर शुल्क का भी भुगतान किया जाना था जिसके लिए आवेदन C.A. में स्थानांतरित किया गया था। नं. 2008 का 172-173। हरियाणा वित्तीय निगम की आपत्ति इस बात पर है कि भारतीय स्टेट बैंक को जो मांगें करने का निर्देश दिया गया था, वे C.A. में की गई थीं। नं. 2007 का 740, प्लॉट सं. वाली संपत्ति पर प्रथम प्रभार रखने वाले सुरक्षित लेनदारों को नोटिस दिए बिना। 136, सेक्टर 24, फरीदाबाद और जिसके संबंध में भारतीय स्टेट बैंक केवल दूसरा प्रभार धारक था। हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक को न केवल कंपनी-इन-लिक्विडेशन द्वारा देय राशि का भुगतान किया गया था, बल्कि मेसर्स जय हिंद इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा देय ऋण का भी भुगतान किया गया था। मेसर्स जय हिंद इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा देय राशि का समायोजन अस्वीकार्य था। एच. एफ. सी. का बकाया रु। 85,57,600 1 अक्टूबर, 2007 से प्रभावी ब्याज के साथ।

ताजगी कोटिंग की आपत्तियाँ।

(7) मेसर्स फ्रेशनेस कोटिंग (पी) लिमिटेड, जिसे नीलामी का सबसे बड़ा बोलीदाता घोषित किया गया था, ने भी इस आधार पर पुनरुद्धार के लिए मंजूरी का विरोध किया कि इस योजना में कंपनी के मामलों को पुनर्जीवित करने का कोई विशेष तरीका नहीं बताया गया था, बल्कि यह केवल उसके हितों को विफल करने और किसी अन्य व्यक्ति से निजी बातचीत द्वारा संपत्ति का निपटान करने की एक चाल थी। आपत्ति इस तथ्य के माध्यम से आती है कि संयंत्र और मशीनरी प्लॉट नं। 142, सेक्टर 24, फरीदाबाद पहले ही रु। आधिकारिक परिसमापक द्वारा 4.10 करोड़ रुपये और जो बचा था वह केवल प्लॉट नं। 142, सेक्टर 24, फरीदाबाद जिसे उसने खरीदा था। प्लॉट नं. में कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं थी। 142, सेक्टर 24 कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए। खरीदार द्वारा यह भी आपत्ति की जाती है कि कंपनी के पुनरुद्धार के लिए छेड़छाड़ की कार्रवाई के लिए धारा 391,392 और 394 के तहत निहित प्रावधानों में से किसी का भी पालन नहीं किया गया है। पूर्व निदेशकों द्वारा दायर आवेदन प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित पूर्व-आवश्यकताओं का पालन नहीं करने से ग्रस्त है, जिन्हें खाली औपचारिकताओं के रूप में नहीं माना जा सकता है

बिजली बोर्ड की आपत्तियां

(8) दक्षिण हरियाणा बिजली ली वितरण निगम लिमिटेड (जिसे इसके बाद "विद्युत बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है) के पास कंपनी-इन-लिक्विडेशन के खिलाफ दावों के रूप में अपनी आपत्तियां हैं,

जिसके अनुसार, आधिकारिक लिक्विडेटर द्वारा गलत निर्णय लिया गया है। विद्युत बोर्ड की शिकायत है कि कंपनी नियमित रूप से ऊर्जा शुल्क का भुगतान नहीं करती थी, जिसके परिणामस्वरूप लाखों रुपये के भारी बकाया जमा हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप एक मध्यस्थ के समक्ष निर्णय लिया गया था। एकमात्र मध्यस्थ का पुरस्कार 2 मार्च, 1987 को पारित किया गया था, जिसमें 2 करोड़ रुपये के निर्धारित मांग शुल्क में राहत दी गई थी। 10.4 लाख और रुपये का शुद्ध जुर्माना। 6.4 लाख लेकिन कंपनी द्वारा दावे की कटौती के बाद रु। 6.4 लाख, रु। अकेले विद्युत बोर्ड के पक्ष में 4 लाख दिए गए। यह मध्यस्थ द्वारा इस तथ्य के लिए पारित किए गए अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं था कि मध्यस्थ ने कथित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य किया था और नवंबर, 1979 से 2 मार्च, 1987 तक ऊर्जा प्रभारों को माफ कर दिया था, जो मध्यस्थ के समक्ष संदर्भ के दायरे में नहीं था। विद्युत बोर्ड के अनुसार, कंपनी से वसूली योग्य राशि रु। 42,43,621 और रुपये की राशि में कमी। 4 लाख रुपये ठोस दिमाग और उचित आधार का उपयोग न करने के कारण थे। इस पुरस्कार को वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, फरीदाबाद के समक्ष दिनांक 31 मार्च, 1987 की याचिका द्वारा चुनौती दी गई थी और मध्यस्थ के पुरस्कार को भी बरकरार रखा गया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश जिसने बिजली बोर्ड के दावे को स्वीकार कर लिया। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि £ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष उपचार का अनुसरण करने के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, सरकारी परिसमापक द्वारा 10.4 लाख रुपये स्वीकार नहीं किए गए थे। इसलिए, विद्युत बोर्ड ने निर्णय के लिए आधिकारिक परिसमापक के समक्ष अपने पूर्ण दावे दायर किए थे। आधिकारिक परिसमापक ने 8 अप्रैल, 2008 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें केवल मध्यस्थ द्वारा दिए गए दावे को बरकरार रखा गया था और 500 करोड़ रुपये के दावे को स्वीकार किया गया था। रुपये के दावे के खिलाफ 6.61 लाख। 85,20,844। आधिकारिक परिसमापक के इस आदेश को विद्युत बोर्ड द्वारा भी चुनौती दी गई है और विद्युत बोर्ड ने अब ऊर्जा शुल्क के दावे को शामिल करने की मांग की है। विद्युत बोर्ड के अनुसार न तो प्रवर्तक और न ही उससे निपटने वाले न्यायालय के पास ऊर्जा शुल्क के विरुद्ध निर्णय लेने की शक्ति थी क्योंकि इसे मध्यस्थता संदर्भ से बाहर रखा गया था, लेकिन आधिकारिक परिसमापक यह देखने के लिए बाध्य था कि क्या विद्युत बोर्ड का 5 लाख रुपये का बकाया दावा है। 35,63,685 का भुगतान किया गया था या नहीं। ऊर्जा शुल्क और बिजली शुल्क के संबंध में मध्यस्थ द्वारा दी गई छूट अधिकार क्षेत्र से बाहर थी और आधिकारिक परिसमापक को उक्त दावे पर अपने उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए था। विद्युत बोर्ड के दावे पर कंपनी के पूर्व निदेशकों की प्रतिक्रिया यह है कि ऊर्जा शुल्क के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई थी और इसलिए, विद्युत बोर्ड द्वारा दावा की गई कोई राशि देय नहीं थी। इसके अलावा मध्यस्थ का अधिनिर्णय स्वयं न्यायालय का एक नियम बन गया है और इसलिए, विद्युत बोर्ड के लिए निर्णय की गई राशि से अधिक किसी भी राशि के लिए अपना दावा स्थापित करना संभव नहीं था।

मेसर्स साकेत स्टील्स के डिक्रीटल दावे

(9) मेसर्स साकेत स्टील्स लिमिटेड ने अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर सिविल जज) के समक्ष कंपनी-इन-लिक्विडेशन के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में एक डिक्री हासिल की थी। दिव.) 19 अप्रैल, 1996 को फरीदाबाद। यह एक एकतरफा डिक्री थी जिसे मनमाने ढंग से परिसमापन का आदेश पारित किया गया था जो 24 दिसंबर, 1985 को बनाया गया था। डिक्री-धारक की ओर से तर्क यह है कि कंपनी न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्यों को डिक्री के पारित होने से पहले सिविल कोर्ट को स्वयं अवगत नहीं कराया गया था। डिक्री अवैध या शून्य नहीं है, लेकिन कंपनी के कहने पर सबसे अधिक अमान्य है और इसे दरकिनार नहीं किया गया है, डिक्री-धारक कंपनी अदालत के समक्ष डिक्री को निष्पादित करने का निर्देश देने का हकदार था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संपत्ति को परिसमापन में बेचने का निर्देश दिया गया था, परिसमापन में कंपनी के खिलाफ निष्पादन लगाने की अनुमति मांगी जा रही थी। यह याचिका 6 जुलाई, 2006 को कंपनी अदालत में दायर की गई थी।

VI. आपत्तियों पर डी. ई. एस. सी. एल. का जवाबः

(10) पक्षों ने पक्षों के बीच विवाद से जुड़े विभिन्न मुद्दों के लिए अधिकारियों को प्रस्तुत किया है। पुनरूद्धार की मांग करने वाले आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि चूंकि विद्युत बोर्ड और एचएफसी के दावों को छोड़कर लेनदारों के सभी दावे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं, इसलिए आवेदकों द्वारा किए गए प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए किसी भी व्यक्ति के कहने पर कोई बाधा नहीं हो सकती है। विद्वान वकील स्वीकार करता है कि वह कोई भी राशि बनाएगा जो अदालत द्वारा निर्धारित की जा सकती है जैसा कि कंपनी द्वारा उन्हें देय है। धारा 391,393 और 394 के तहत विस्तृत रूप से किसी भी फॉर्मूलेशन का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विशेष प्रक्रिया केवल शेयरधारकों और लेनदारों के दावों से अवगत कराने के लिए है और चूंकि सभी शेयरधारकों ने संयुक्त रूप से पुनरुद्धार के लिए योजना का प्रस्ताव दिया है और चूंकि कंपनी में श्रमिकों सहित सभी प्रमुख लेनदारों को पहले ही संतुष्ट किया जा चुका है, इसलिए केवल बिजली बोर्ड और एचएफसी ही बचे थे और अदालत के समक्ष उनकी आपत्तियों पर भी सुनवाई की जा रही थी, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 391,393 और 394 के तहत निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

(11) किसी सिविल न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई का अभियोजन करने के लिए कंपनी न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता पर अनिवार्य रूप से विद्वान वकील द्वारा विस्तृत तर्क दिए गए हैं और निर्णय प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी आपत्तियाँ कंपनी अधिनियम की धारा 446 के माध्यम से आती हैं जो किसी भी मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही के प्रारंभ पर रोक लगाती है यदि न्यायालय की अनुमति के अलावा कोई समापन आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है। वह इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि कंपनी ने प्रासंगिक समय पर बी. आई. एफ. आर. से संपर्क किया था जब विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया गया था और सिविल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रखना और एस. आई. सी. ए. के तहत निहित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए डिक्री जारी करना शुरू से ही अमान्य है। वह एक निर्णय M.V. को संदर्भित करता है। जनार्दन रेड्डी बनाम विजया बैंक और एक अन्य[1] कि "चूंकि आधिकारिक परिसमापक कंपनी की संपत्तियों के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें नीलामी की कार्यवाही से जुड़ा होना चाहिए था, जो नहीं किया गया था।" आरडीबी अधिनियम के तहत वसूली अधिकारी की शक्ति के संदर्भ में यह कहा गया था। बिक्री की पुष्टि करते हुए, वसूली अधिकारी अपनी शक्तियों से परे काम कर रहा था। हरिहर नाथ और अन्य। बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य[2] एस. आई. सी. ए. की धारा 22 और कंपनी अधिनियम की धारा 446 का प्रभाव यह बताता है कि कंपनी को बंद करने का आदेश उस व्यक्ति पर कर्तव्य या दायित्व डालता है जिसने कंपनी पर मुकदमा दायर किया है कि वह अपने मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त करे। अवकाश के लिए आवेदन करने का अधिकार समाप्त करने के आदेश के कारण नहीं बल्कि इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वाद या कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है; जब तक वाद या कार्यवाही अवकाश के लिए आवेदन में रुकी हुई है, तब तक हमेशा दायर किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय अवकाश प्राप्त करने के लिए परिसीमा विधि के संदर्भ में विधि निर्धारित कर रहा था और यह अभिनिर्धारित कर रहा था कि धारा 446 (1) के अधीन अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करने का अधिकार, वाद के स्थगन के प्रत्येक क्षण उपार्जित होता है। इसके अनुसार, सिविल न्यायालय द्वारा विशिष्ट निष्पादन प्रदान करने वाली डिक्री तब की गई थी जब एस. आई. सी. ए. की धारा 22 के संचालन के आधार पर वाद पर रोक लगी रही थी और जब कंपनी न्यायालय द्वारा समापन का आदेश पारित किया गया था, तो डिक्री देने से पहले मंजूरी प्राप्त नहीं की जानी चाहिए थी। यह याद रखना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में कहा है कि अधिनियम की धारा 446 का उद्देश्य कंपनी के खिलाफ किसी भी दावे को रद्द करना या रद्द करना या प्राप्त करना नहीं था, बल्कि केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी और कार्यवाही की बहुलता से बचाना और लेनदारों और शेयरधारकों के बीच समान वितरण के लिए परिसंपत्तियों की रक्षा करना था। यह उद्देश्य किसी कंपनी के खिलाफ दावा

[1] 2008(144) Comp Cas 1 (S.C.)
[2] J.T. 2006 (4) S.C. 241

करने वाले लेनदार या व्यक्ति को आवश्यक आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करके हासिल किया गया था।

(12) रघुनाथ राय बरेजा और दूसरा बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य[3] एक ऐसा मामला था जिसमें माननीय न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति से निपटा जब एक डिक्री समय से वर्जित हो गई थी और न्यायालय को आरडीबी अधिनियम के तहत प्रवर्तन के लिए बैंक ऑफ डीआरटी द्वारा दावे को स्थानांतरित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं पाया गया था, भले ही इक्विटी किसी बैंक के पक्ष में अपने बकाया का एहसास करने के लिए मौजूद थी और सीमा की अवधि से परे अपनी निष्पादन याचिका दायर करने में बैंक को ही दोषी ठहराया गया था। चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद[4] एक सामान्य प्रस्ताव को संदर्भित करता है कि जब कोई क़ानून किसी चीज़ को विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है तो उसे उस तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। विद्वत वकील इस प्रस्ताव का उल्लेख इस बात को स्पष्ट करने के लिए करता है कि वादी जो विशिष्ट निष्पादन के लिए अपने उपचार का अनुसरण कर रहा था, उसे अपने दावों को आगे बढ़ाने के लिए धारा 446 के तहत आवेदन करना चाहिए था और यदि उसने ऐसा नहीं किया था, तो डिक्री को ही वैध रूप से प्राप्त नहीं कहा जा सकता है। सुदर्शन चिट्स (आई) लिमिटेड बनाम जी सुकमारन पिल्लई[5] धारा 446 के विधायी इतिहास में दायरे की जांच करते हैं।(2). यह निर्णय बिना किसी और चीज के समापन आदेश को स्थगित रखने के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए दिया गया था। इसने अभिनिर्धारित किया कि धारा 446 (2) के तहत विचार किए गए सभी निर्देश दिए जा सकते हैं, हालांकि अदालत के आदेशों द्वारा कंपनी को बंद करने को स्थगित रखा गया है। श्रीमती में। भगवती देवी बुबना और अन्य बनाम धनराज मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य[6] पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने कंपनी अधिनियम की धारा 537 के प्रभाव की जांच की, जिसका अर्थ है कि अदालत की अनुमति के बिना परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों के प्रभावों के खिलाफ एक डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है और यदि उक्त धारा के तहत अदालत की अनुमति के बिना कोई मुकदमा जारी रखा जाता है, तो डिक्री आधिकारिक परिसमापक पर बाध्यकारी नहीं है। डिवीजन बेंच ने कहा कि मामले को आगे की कार्रवाई के लिए केवल बंद करने वाले न्यायालय में ले जाया जाना चाहिए और निष्पादन न्यायालय द्वारा डिक्री की प्रकृति या इसकी निष्पादन क्षमता के बारे में एक टिप्पणी की गई थी जिसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। लॉयल कॉन्टिनेंटल फूड्स लिमिटेड बनाम पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लिमिटेड, (लिखित रूप में) और अन्य[7] इस न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने कंपनी अधिनियम की धारा 446 की कथित प्रयोज्यता और ऋणों की वसूली के लिए प्रावधान करने वाले विभिन्न विशेष कानूनों की विस्तार से जांच की। इसने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय की अनुमति के बिना

---

[3] (2007) 13 5 Comp Cas 163 (SC)
[4] J.T. 1999 (7) SC 256
[5] (1984) 3 Comp LJ 40(SC)
[6] AIR 1969 Patna 206
[7] (2008) 143 Comp Cas 619

कंपनी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के निर्वाह के दौरान न्यायालय द्वारा किए गए कुर्की के आदेश को भी धारा 537 के अधिदेश की शर्तों के विरुद्ध माना जाएगा और इस प्रकार यह विधि की दृष्टि में शून्य और विद्यमान नहीं है। केरल राज्य वित्तीय उद्यम लिमिटेड बनाम आधिकारिक परिसमापक, केरल उच्च न्यायालय[8] ने एस. आई. सी. ए. के ओवर-राइडिंग प्रभाव की जांच की, जहां वित्तीय गतिविधियों में लगी कंपनी को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम और केरल राजस्व वसूली अधिनियम के तहत आगे बढ़ाया गया था और इस बीच, कंपनी स्वैच्छिक समापन के लिए चली गई थी। उच्च न्यायालय ने वसूली की कार्यवाही जारी रखने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया और न्यायालय ने कहा कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान बकाया की वसूली को नियंत्रित करेंगे और इसलिए, उच्च न्यायालय छुट्टी देने से इनकार करने में सही था। इसमें कहा गया है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के तहत कुर्की का आदेश सीमित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पारित किया गया था और इसे हमेशा अन्य आदेशों के साथ-साथ अन्य क़ानून के प्रावधानों के लिए अतिसंवेदनशील के रूप में समझा जाना चाहिए।

VII. संक्षेप में आपत्तियाँ सर्वव्यापी हैं:

(13) पुनरुद्धार के लिए विरोध एक पिछले सफल नीलामी खरीदार से आता है जो स्पष्ट रूप से परिसंपत्तियों को लेने और लेनदेन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की उम्मीद करता है। फिर भी एक अन्य व्यक्ति वह व्यक्ति है, जिसने अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से एक समझौते के विशिष्ट प्रवर्तन के लिए एक डिक्री प्राप्त की है, हालांकि मुकदमे में पूर्ण निर्णय के बाद गुण-दोष पर निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जब कंपनी परिसमापन में थी तो प्रतिवादी द्वारा उपस्थिति के चूक पर प्राप्त किया गया है। विद्युत बोर्ड, जिसने माध्यस्थम कार्यवाहियों के अधीन अधिनिर्णय प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी भी जो उसे मिला है उससे संतुष्ट नहीं होने के कारण, अधिनिर्णय के अधिक्रमण में न्यायालय के समक्ष अपने विवादित दावों को आगे बढ़ा रहा था और सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां पूरी नहीं होने के कारण, उन्हें विवादों को अंतिम रूप देने के लिए कंपनी न्यायालय में भेज दिया गया है। आधिकारिक परिसमापक का वास्तव में यहाँ कोई हित नहीं है सिवाय यह देखने के कि लेनदार और श्रमिक पूरी तरह से संतुष्ट हैं। सुरक्षित लेनदार में से, भारतीय स्टेट बैंक पहले ही केक के बड़े टुकड़े के साथ चला गया है जब प्लॉट नं। 136, सेक्टर 24, फरीदाबाद को वह मिला जो कंपनी के बकाया से अधिक था। आधिकारिक परिसमापक को यह देखने से ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है कि नीलामी जो प्लॉट नं. 142 सफल खरीदार के पक्ष में पूरा हो गया है। यह देखना अधिक है कि उसके अपने कार्य पूरे घेरे में आ रहे हैं और स्पष्ट रूप से किसी भी निजी हित के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हो सकते हैं।

(14) जहां तक मेसर्स फ्रेशनेस कोटिंग्स (पी) लिमिटेड, 5वें प्रत्यर्थी द्वारा रुपये की राशि के लिए खरीद के प्रस्ताव द्वारा की गई आपत्ति का संबंध है। 3.80 करोड़, यह उम्मीद है कि खरीद की पुष्टि अदालत द्वारा की गई है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आधिकारिक लिक्विडेटर ने एक आवेदन C.A. 2006 का

[8] J.T. 2006 (12) S.C. 603

297 पुष्टिकरण के लिए और यद्यपि एक सुरक्षित या असुरक्षित लेनदार या यहां तक कि कंपनी का एक शेयरधारक नहीं है, उच्चतम बोलीदाताओं में से एक होने के नाते परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों में रुचि थी। खरीदार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील मेघल होम्स (पी) लिमिटेड बनाम श्री निवास गिरनी K.K समिति[9] में निर्णय पर निर्भर करता है।जिसमें कहा गया है कि "हालांकि न्यायालय शेयरधारकों के वाणिज्यिक विवेक पर अपील नहीं करेगा, यह निर्धारित करने में कि क्या समापन को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से रोक दिया जाना चाहिए, यह निश्चित रूप से विचार करेगा कि क्या योजना वास्तव में कंपनी के व्यवसाय के पूरे या एक हिस्से के पुनरुद्धार पर विचार करती है, लेनदारों को भुगतान करने या उनके दावों को संतुष्ट करने के लिए प्रावधान करती है जैसा कि उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529-ए के तहत श्रमिकों के दायित्व को पूरा करने के लिए। न्यायालय को योजना की प्रामाणिकता को देखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जो योजना प्रस्तुत की गई है वह परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान के लिए एक चाल नहीं है, और क्या ऐसा प्रस्ताव सार्वजनिक हित और वाणिज्यिक नैतिकता के तत्वों को संतुष्ट करता है। यदि न्यायालय इस योजना को एक निजी व्यवस्था द्वारा परिसंपत्तियों का निपटान करने की एक चाल समझता है, तो यह उसका कर्तव्य है कि वह परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों का निपटान करे, परिसंपत्तियों की वसूली करे और कानून के अनुसार उन्हें वितरित करे। उनके अनुसार, वास्तव में उस कंपनी की औद्योगिक परिसंपत्तियों के लिए कंपनी के पुनरुद्धार की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां व्यवसाय चलाया जा रहा था, पहले ही निपटाया जा चुका है। रिकॉर्ड के रूप में प्लॉट नं। 136 कारखाने के साथ C.A में पारित इस अदालत के आदेश के अनुसरण में निपटाया गया था। नं. 2003 का 321 रु. 4.10 करोड़ और इस अदालत द्वारा 17 सितंबर, 2004 के अपने आदेश द्वारा पुष्टि की गई, जो C.A. में पारित हुई। नं. C.P. में 2004 का 110। नं. मेसर्स एक्सेल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के पक्ष में 1995 का 72.

VIII. पुनर्जीवन, हमेशा पोषित लक्ष्यः

दो विचार निश्चित रूप से संभव हैंः यदि किसी कंपनी ने संयंत्र और मशीनरी की अपनी मूल संपत्ति खो दी है और अवशिष्ट संपत्ति केवल भूमि का एक खाली टुकड़ा है, तो क्या इसे वास्तव में अपने दावे में प्रामाणिक कहा जा सकता है कि वह कंपनी को पुनर्जीवित करना चाहती है? एक और धारणा भी हो सकती है कि एक कंपनी जिसने अपने बुरे समय के दौरान खो दिया है, मुख्य परिसंपत्तियों ने आखिरकार सब कुछ नहीं खोया है। यह अभी भी भूमि का मूल्यवान टुकड़ा छोड़ गया है जिस पर पूरी नई इमारत लाई जानी चाहिए। उद्योग कम हवा में नहीं आते हैं। उद्योग शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात संपत्ति की उपलब्धता और उसके साथ जाने वाला बुनियादी ढांचा है। यह एक स्वीकृत मामला है कि प्लॉट नं। 142

[9] (2007) 7 S.C.C. 753

फरीदाबाद के औद्योगिक केंद्र में है और इसमें सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे हैं। जैसा कि कहा जाता है, आप कैनवस के बिना कोई चित्र नहीं बना सकते हैं और न ही कैनवस का कोई महत्व हो सकता है, सिवाय इसके कि उस पर एक चित्र बनाया जाए। यह भूमि पर संयंत्र और मशीनरी का स्थानांतरण है जो इसे एक कारखाना बनाता है और कारखाना तभी आ सकता है जब भूमि मौजूद हो। जमीन बहुत उपलब्ध है और अगर कंपनी अपनी योजनाएं बना सकती है और एक ऐसे फाइनेंसर को प्रेरित कर सकती है जो उस उद्योग की स्थापना करके कंपनी को वापस पटरी पर ला सकता है जिसमें वह काम करने का प्रस्ताव रखता है, तो इस तरह के प्रस्ताव पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। पूर्व निदेशकों के कहने पर कंपनी के पुनरुद्धार के मुद्दे को पुनरुद्धार का विरोध करने वाले विभिन्न वर्गों से उत्पन्न परस्पर विरोधी दावों के संदर्भ में देखना होगा। जाहिर है, हर एक के पास पीसने के लिए अपनी कुल्हाड़ी है। पुनरुद्धार की अवधारणा का विरोध नहीं किया जा सकता है क्योंकि विकास केवल पुनरुद्धार और पुनर्जनन में होता है। बंद करना विकास का विरोधी है। इसलिए विकास के लिए रास्ता बनाने वाले किसी भी कार्यक्रम को फोल्ड-अप ऑपरेशन के बजाय प्राथमिकता देनी होगी।

IX. ओ. एल. द्वारा रखे गए क्रेता द्वारा आपत्ति के उत्तरः

(15) इसका उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्धारित किया है, उसके संदर्भ में पाया जाना चाहिए कि यदि प्रस्ताव केवल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए एक चाल है, तो यह देखना होगा कि क्या यह सार्वजनिक हित और वाणिज्यिक नैतिकता को संतुष्ट करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में उस मामले पर विचार कर रहा था जहां एक योजना तैयार करने के लिए बुलाई गई एक बैठक में, उसने वास्तव में कंपनी के पुनरुद्धार पर विचार नहीं किया था, बल्कि कंपनी की संपत्तियों के निपटान के लिए एक योजना पर विचार किया था जो आधिकारिक परिसमापक में निहित थी। परिसमापन में कंपनी एक मिल थी जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत थे। लेनदारों के कई दावों को पूरा करना पड़ा। एक संपत्ति जो आधिकारिक परिसमापक के पास निहित हो गई थी, जैसा कि कंपनी न्यायालय द्वारा कल्पना की गई थी कि उसे अपनी संपत्तियों की बिक्री के लिए कंपनी को वापस जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन लेकिन अगर बिक्री केवल आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से की जानी चाहिए जो सबसे अच्छा मूल्य सुरक्षित कर सकता है। अदालत के इस आदेश को कंपनी के प्रमुख शेयरधारक और श्रमिक संघ ने चुनौती दी थी। कंपनी न्यायालय के मूल आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने से पहले एक खंड पीठ द्वारा संशोधित किया गया था कि आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के निर्देश के बजाय पुनरुद्धार की योजना पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। संशोधित योजना में कंपनी की केवल एक गतिविधि अर्थात् कताई इकाई के पुनरुद्धार पर विचार किया गया था और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए उसने परिसंपत्तियों के हिस्से के निपटान पर विचार किया था। वास्तव में सुरक्षित लेनदारों सहित

कई दावेदारों से कई प्रस्ताव आ रहे थे। भूमि के किसी भी हिस्से को बेचने के बजाय एक व्यवहार्य उद्योग शुरू करना संभव माना जाता था। संशोधनों पर विचार करने और उनकी मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की बैठक को फिर से बुलाना पुनरुद्धार के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए एक आवश्यक अनिवार्यता प्रतीत हुई। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक योजना जो केवल निजी बातचीत द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान का प्रस्ताव थी, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, इस मामले में योजना के पुनरुद्धार के लिए विरोध की मांग उन व्यक्तियों के कहने पर की जाती है जो चाहते हैं कि कंपनी की एकमात्र संपत्ति बेची जाए और पहले से रखी गई बिक्री की पुष्टि की जाए। ऐसे कोई असुरक्षित लेनदार नहीं हैं जिनके दावे असंतुष्ट रहते हैं। किसी तीसरे पक्ष की ओर से विशिष्ट निष्पादन के लिए एक डिक्री या विद्युत बोर्ड द्वारा देय राशि के निर्धारण के लिए आने वाले दावों में पुनरुद्धार के लिए अलग-अलग योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है। डिक्री प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति का हित यह देखना है कि इसे पूरी तरह से निष्पादित किया जाए और कंपनी द्वारा धारण की गई संपत्ति को उसके पक्ष में सौंप दिया जाए। विद्युत बोर्ड का हित परिसंपत्तियों की बिक्री द्वारा अपने देय धन को सुरक्षित करना है। उच्चतम बोलीदाता अर्थात् 5वें प्रत्यर्थी से आने वाले विरोध को भी कायम नहीं रखा जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं है जिसकी बिक्री की अदालत द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, कंपनी के पुनरुद्धार के लिए याचिका की कीमत पर भी हर समय कोई वैध अपेक्षा रखने का अधिकार नहीं है और उसकी बिक्री की पुष्टि की गई है। ऐसे मामलों में धन के संदर्भ में एक ऐसे व्यक्ति को मुआवजा, जिसकी बिक्री बिना किसी गलती के नहीं होती है, एक महत्वपूर्ण उपाय होना चाहिए जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

<u>एक्स. डिक्री की प्रवर्तनीयता का विस्तार:</u>

(16) कंपनी आवेदन सं। 2006 का 482 मेसर्स साकेत स्टील्स लिमिटेड के कहने पर लिया गया है, जिसने 19 अप्रैल, 1996 को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) फरीदाबाद की अदालत में कंपनी को 24 फरवरी, 1995 को बंद करने का आदेश दिए जाने के बाद एकतरफा डिक्री प्राप्त कर ली है। आवेदकों द्वारा दावा इस आधार पर किया गया है कि कंपनी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित होने के बारे में याचिकाकर्ता को जानकारी नहीं थी और वाद की स्थापना स्वयं अमान्य नहीं थी क्योंकि यह 16 जुलाई, 1990 को किया गया था, जब विचार में कभी भी समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। डिक्रीधारक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने इंडियन बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक, चेमीन्स एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड और अन्य[10] मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर इस आशय से भरोसा किया कि समापन के आदेश के बाद भी एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री

[10] (1998)5 S.C.C. 401

को शून्य नहीं माना जा सकता है। उनके अनुसार, धारा 446 के तहत एकमात्र कानूनी आवश्यकता यह है कि उन्हें जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम यूको बैंक[11] और अन्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा विचारित तरीके से डिक्री को निष्पादित करने के लिए न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी. उनके अनुसार, एक डिक्री-धारक की स्थिति एक सुरक्षित लेनदार से बदतर नहीं हो सकती है, विशेष रूप से जब लंबित कार्यवाही समापन आदेश के पारित होने से पहले ही शुरू कर दी गई थी। इस प्रस्ताव के लिए, वह हरि हरनाथ और अन्य बनाम भारत संघ[12] पर अपना हाथ रखता है याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि उसे निष्पादन न्यायालय के समक्ष कोई राहत नहीं मिल सकती है जिसने कंपनी न्यायालय के समक्ष समापन कार्यवाही होने पर डिक्री पारित की और कंपनी अधिनियम की धारा 446 के तहत कंपनी न्यायालय के माध्यम से डिक्री को निष्पादित करने की अनुमति के लिए इस न्यायालय का रुख करने के लिए विवश महसूस करता है। कंपनी के पूर्व निदेशकों की ओर से उपस्थित वकील की ओर से आपत्ति दो मामलों के तहत की गई हैः-

(i) उस समय जब डिक्री पारित की गई थी, बीआईएफआर के समक्ष पहले से ही कार्यवाही चल रही थी और एसआईसीए अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही पर वैधानिक रोक थी। इसलिए पारित आदेश शुरुआत से ही अमान्य था। जहां कार्यवाहियों के ज्ञान का प्रश्न अप्रासंगिक है, धारा 22 के अधीन विचार की गई कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

(ii) धारा 446 का प्रभाव इस प्रकार था कि कोई अन्य न्यायालय कंपनी अधिनियम का सहारा लेने के अलावा कंपनी के मामलों से संबंधित किसी भी मामले से निपटने में अक्षम हो जाता है। वाद की स्थापना के विरुद्ध या जहां कोई वाद समापन की तारीख को लंबित है, कंपनी के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियों को तब तक जारी रखना जब तक कि न्यायालय की अनुमति अनुज्ञेय न हो और कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। कार्यवाही को जारी रखने के लिए एकमात्र वैधता तब प्राप्त हो सकती है जब धारा 446 (2) के तहत एक उपाय किया जाता है, जहां कंपनी न्यायालय को स्वयं कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी मुकदमे या कार्यवाही या कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किए गए किसी दावे को स्वीकार करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र होगा, चाहे वह मुकदमा या कार्यवाही शुरू की गई हो या जहां ऐसा दावा कंपनी के समापन के आदेश से पहले या बाद में उत्पन्न हुआ था।
(i) एस. आई. सी. ए. विशिष्ट प्रदर्शन के सूट को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है।
(17) एस. आई. सी. ए. में निहित बार की ओर इशारा करते हुए, मैसर्स साकेत स्टील्स लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया (टोपी) धारा 22 कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अपने

[11] AIR 2005 (10) SC 31
[12] AIR 2005 (4) SC 457

संचालन में निरपेक्ष नहीं है। धारा के तहत विचार के अनुसार रोक केवल "धन की वसूली के लिए या औद्योगिक कंपनी के खिलाफ किसी प्रतिभूति को लागू करने के लिए, या औद्योगिक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी भी गारंटी के लिए" है। विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा धारा 22 के तहत निर्धारित किसी भी विशिष्ट उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता है। कंपनी के पूर्व निदेशकों की ओर से पेश विद्वान वकील ने कई निर्णयों का उल्लेख किया है। मैं यहाँ पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि, मुझे विश्वास है कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा वह नहीं है जो एस. आई. सी. ए. की धारा 22 के तहत निहित बार से आकर्षित होगा। आधिकारिक परिसमापक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कंपनी अधिनियम की धारा 537 का उल्लेख करते हुए एक दूसरी कड़ी जोड़ दी है, जिसमें कहा गया हैः "जहां किसी कंपनी को न्यायाधिकरण (न्यायालय) द्वारा समाप्त किया जा रहा है (क) कंपनी की संपत्ति या प्रभावों के खिलाफ, न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना, परिसमाप्ति के प्रारंभ के बाद लागू कोई कुर्की, संकट या निष्पादन; या (ख) ऐसी शुरुआत के बाद कंपनी की किसी भी संपत्ति या प्रभाव की न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना आयोजित कोई बिक्री, शून्य होगी। विद्वान वकील इस न्यायालय हरियाणा वित्तीय निगम बनाम मेसर्स देव पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्णय का उल्लेख करते हैं। लिमिटेड (परिसमापन में) और अन्य C.A. में पारित हुए। नं. C.P. में 2007 का 14. नं. 11 दिसंबर, 2008 को 1999 का 197, जहां इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसी संपत्ति की कुर्की या बिक्री के बारे में क्या कहना है, धारा के तहत केवल निष्पादन को लागू करना अनुज्ञेय है। मुझे डर है कि उक्त दृष्टिकोण इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं हो सकता है कि किसी भी कुर्की, कष्ट या निष्पादन को उस न्यायालय द्वारा लागू करने की मांग नहीं की जाती है जिसने अपने निष्पादन में डिक्री पारित की थी। दूसरी ओर, डिक्री-धारक ने अनुमति और डिक्री के निष्पादन के लिए धारा 446 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(ii) कंपनी अधिनियम के तहत प्रतिबंध का विस्तार।

(18) डिक्री की निष्पादन क्षमता से संबंधित अन्य आपत्ति का आग्रह अधिवक्ता श्री आनंद छिब्बर द्वारा इस आधार पर किया गया है कि धारा 446 स्वयं उसके समक्ष लंबित किसी कार्यवाही के संबंध में स्थगन बनाने के लिए कार्य करती है और मुझे डिक्री धारक के इस तर्क को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि डिक्री आरंभ से ही शून्य नहीं है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि डिक्री पारित होने से पहले परिसमापन के आदेश द्वारा संपत्ति सरकारी परिसमापक के पास निहित हो गई थी, डिक्री देने की कार्यवाही के लिए कंपनी के आग्रह पर अमान्य होगी। यह मुकदमा वर्ष 1990 में दायर किया गया है और मुझे नहीं लगता कि कार्यवाही के ई-ट्रायल का निर्देश देना उचित होगा। एक डिक्री की अमान्य प्रकृति में, यह उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जिसके कहने पर इसे टाला जा सकता है, उसे इसे अलग करने के लिए स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बचाव में भी परिहार संभव है यदि कंपनी कहती है कि उसके खिलाफ

प्राप्त डिक्री उसके इशारे पर अमान्य है। जवाब में, डिक्री-धारक यह आग्रह नहीं कर सकता कि यह अभी भी निष्पादन योग्य है।

कार्यवाहियों के लंबित होने के बारे में जानकारी की कमी की दलील का कोई अर्थ नहीं है जब धारा 446 की भाषा अपने चरित्र में अव्यवहारिक है कि कंपनी की परिसंपत्तियों के संबंध में कार्यवाहियों को बंद करने की स्थिति में जारी रखने पर रोक लगाई जानी चाहिए। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, कार्यवाही को वैध बनाने का एकमात्र तरीका न्यायालय की मंजूरी प्राप्त करना है। डिक्री-धारक के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णय वास्तव में जवाब नहीं देता है कि क्या निर्णय लिया जाना है। इंडियन बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक, चेमीन्स एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड और अन्य (उपर्युक्त) ने बताया कि धारा 446 उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। यह धारा 446 (4) के आधार पर है जो विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित कार्यवाही को बाहर करती है। मुकदमा वास्तव में अधीनस्थ न्यायालय (वरिष्ठ प्रभाग) के समक्ष दायर किया गया था और उस समय उस न्यायालय में लंबित था जब समापन का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील में किसी कार्यवाही के लंबित होने का प्रभाव मुख्य रूप से इंडियन बैंक के मामले (उपर्युक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा था जहां कंपनी न्यायालय की अनुमति से ऋण की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया था। आधिकारिक परिसमापक द्वारा इस याचिका पर मामले का बचाव किया गया था कि एक विशेष आरोप जिसे बैंक लागू करना चाहता था, कंपनी अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्ज नहीं किया गया था। हालांकि, एक प्रारंभिक आदेश पारित किया गया था और इसे आधिकारिक परिसमापक द्वारा कोई अपील दायर नहीं करके अंतिम बनने की अनुमति दी गई थी। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक डिक्री को अमान्य या निष्क्रिय नहीं किया गया था। इस मामले में, आधिकारिक परिसमापक को पक्षकार नहीं बनाया गया था और उनकी उपस्थिति में निर्णय नहीं दिया गया था। हरिहर नाथ और अन्य। (ऊपर) डिक्री-धारक के वकील द्वारा उद्धृत अभी भी डिक्री-धारक का लाभ नहीं उठाता है क्योंकि उस मामले में मुद्दा धारा 446 के तहत अनुमति के साथ शुरू की जाने वाली कार्यवाही पर लागू सीमा अवधि थी। वहां न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नई कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए अनुमति के आवेदन के मामले में, लागू सीमा की अवधि की गणना धारा 446 के तहत अनुमति की मांग करने वाले आवेदन के संबंध में नहीं बल्कि उस वाद या कार्यवाही के संबंध में की जानी है जिसे शुरू करने की मांग की गई है। जब तक कार्यवाही जिसके लिए अनुमति मांगी गई है, छुट्टी दाखिल करने की तारीख के अनुसार समय के भीतर है, तब तक आवेदन पर विचार किया जाएगा। धारा 446 के तहत छुट्टी प्राप्त करने के लिए खर्च किए गए समय को सीमा अधिनियम की धारा 15 (2) को लागू करके बाहर करना होगा। इस मामले में उनके तर्क का समर्थन करने से अधिक, यह एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करता है कि निष्पादन के लिए मंजूरी की मांग करने वाले आवेदन को समय के भीतर स्वयं दायर करना होगा। 19

अप्रैल, 1996 को वाद का फैसला सुनाया गया है और मंजूरी के लिए याचिका 3 जुलाई, 2006 को दायर की गई है। डिक्री के निष्पादन की सीमा 12 वर्ष है और माना जाता है कि मंजूरी के लिए याचिका इस अवधि के भीतर दायर नहीं की गई है। सवाल यह है कि क्या इस तरह की अनुमति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी जा सकती है कि जिस समय डिक्री पारित की गई थी, उस समय कंपनी को पहले ही बंद करने का निर्देश दिया जा चुका था।

(19) मेरे विचार में, एक डिक्री का परिहार, जो कंपनी के कहने पर संभव है, तब पूर्ण हो जाता है जब एक बचाव लिया जाता है कि डिक्री धारा 446 के तहत रोक के संचालन के आधार पर निष्पादन योग्य नहीं थी।(1). अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय जब किसी पक्ष को शून्य या शून्य अनुबंध के दायित्वों से मुक्त करता है, तो उसके पास विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 33 के तहत उस पक्ष को हुए नुकसान को बहाल करने की शक्ति है जिसका अनुबंध शून्य या शून्य पाया गया है। इस खंड में कहा गया हैः जब साधन को रद्द कर दिया जाता है या शून्य या शून्य होने के रूप में सफलतापूर्वक विरोध किया जाता है तो लाभ को बहाल करने या मुआवजा देने की आवश्यकता होती है।—

(1) किसी लिखत के निरस्तीकरण का निर्णय लेने पर, न्यायालय उस पक्षकार से, जिसे ऐसी राहत दी गई है, अपेक्षा कर सकता है कि वह दूसरे पक्षकार से प्राप्त किसी भी लाभ को, जहां तक हो सके, पुनर्स्थापित करे और उसे कोई ऐसा मुआवजा दे जो न्याय के लिए अपेक्षित हो।

(2) जहां कोई प्रतिवादी इस आधार पर किसी वाद का सफलतापूर्वक विरोध करता है-

(क) कि वाद में उसके विरुद्ध प्रवर्तित किए जाने के लिए चाहा गया लिखत अमान्य है, न्यायालय, यदि प्रतिवादी को दूसरे पक्ष से लिखत के तहत कोई लाभ प्राप्त हुआ है, तो उससे उस पक्ष को, जहां तक हो सके, ऐसा लाभ बहाल करने या उसके लिए मुआवजा देने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) कि वाद में उसके विरुद्ध लागू किया जाना चाहा गया करार भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 11 के अधीन करार करने के लिए सक्षम न होने के कारण शून्य है, न्यायालय, यदि प्रतिवादी को दूसरे पक्ष से करार के अधीन कोई लाभ प्राप्त हुआ है, तो उससे अपेक्षा कर सकता है कि वह उस पक्ष को, जहां तक हो सके, उस लाभ को उस सीमा तक पुनर्स्थापित करे जिससे उसे या उसकी संपदा को लाभ हुआ है।

याचिका के कथनों से यह देखा जाता है कि मेसर्स साकेत स्टील्स लिमिटेड ने एक करोड़ रुपये में संपत्ति खरीदने के लिए एक समझौता किया था। कंपनी ने 14 जुलाई, 1987 को 8,50,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। 50, 000 और रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया था। 28 सितंबर, 1987 को 1,00,000। कंपनी संबंधित तिथियों से राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जब राशि का भुगतान 14 जुलाई, 1987 और 28 सितंबर, 1987 को किया गया था। 50, 000 और रु। भुगतान की तारीख

तक 12% प्रति वर्ष की दर से 1,00,000। निर्धारित की गई यह राशि कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक प्रभार का गठन करेगी।

XI. विद्युत बोर्ड की आपत्तियों के बारे में:

(20) विद्युत बोर्ड की आपत्तियाँ दो गणनाओं के अंतर्गत आती हैं: (i) माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष कार्यवाही का सहारा लेने के आधार पर जहां "मांग शुल्क" के संबंध में परिसर में विद्युत कनेक्शन के लिए कंपनी के दायित्व के संबंध में निर्णय मांगा गया था। ऊर्जा शुल्कों का भुगतान स्वयं विवाद में नहीं था और इसलिए इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया गया था। 2 मार्च, 1987 के एक पुरस्कार द्वारा, जो उस तारीख से पहले था जब समापन आदेश दिया गया था, कंपनी पर 2 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि का दायित्व तय किया गया था। 4 लाख और पुरस्कार दिए जाने के 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान करने का निर्देश दिया। इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट क्लॉज भी हैं। एच. एस. ई. बी. इस आधार पर पुरस्कार से असंतुष्ट था कि मध्यस्थ एक संदर्भ पर प्रवेश करने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे चला गया था, जिसे विशेष रूप से ऊर्जा शुल्क से संबंधित मुद्दे पर उससे बाहर रखा गया था। विद्युत बोर्ड के अनुसार, ऊर्जा शुल्क स्वयं कई लाख रुपये का था और इस पर कभी विवाद नहीं हुआ था, लेकिन मध्यस्थ के निर्णय में गलत तरीके से पाया गया कि यह दावा करने योग्य नहीं है। इस पुरस्कार को मूल रूप से वरिष्ठ उप न्यायाधीश, फरीदाबाद की अदालत में 31 मार्च, 1987 की एक याचिका द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने इसे भी खारिज कर दिया था। बर्खास्तगी के आदेश को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी, जहां एच. एस. ई. बी. के दावे को रुपये की सीमा तक अनुमति दी गई थी। 10.4 लाख। हालाँकि, यह आदेश उस समय के दौरान पारित किया गया था जब कंपनी को पहले ही बंद करने का निर्देश दिया जा चुका था और इसलिए, एच. एस. ई. बी. ने दावे के पुनः निर्णय के लिए आधिकारिक परिसमापक से संपर्क किया था। आधिकारिक परिसमापक ने स्वयं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर विचार नहीं किया, यह देखते हुए कि उनके द्वारा पारित आदेश मध्यस्थ द्वारा दिए गए राशि को समाप्त करने और बहाल करने के आदेश के बाद था। दावे के इस निर्णय के खिलाफ C.A. में कंपनी द्वारा दायर आवेदन है। नं. 2008 का 400।

(21) डी. एच. बी. वी. एन. एल., जो एच. एस. ई. बी. का उत्तराधिकारी है, इस बात से व्यथित है कि ऊर्जा शुल्क के दावे को आधिकारिक परिसमापक द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। यह याद रखना चाहिए कि ऊर्जा शुल्क का मुद्दा स्वयं कभी विवाद में नहीं था और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय का विषय नहीं बनाया गया था। यदि ऊर्जा प्रभार स्वयं विवाद का विषय नहीं था, तो यह पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि एच. एस. ई. बी. या उसका उत्तराधिकारी या तो मध्यस्थ के समक्ष दावे के हिस्से के रूप में बिजली शुल्क के प्रति दावा कैसे कर सकता था या इसे वरिष्ठ उप-न्यायाधीश न्यायालय, जिसके समक्ष पुरस्कार को चुनौती दी गई थी, या जिला न्यायालय, जिसके समक्ष अपील दायर की गई थी, के समक्ष चुनौती का विषय बना सकता था। विद्युत बोर्ड के लिए यह संभव हो सकता है

कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह मध्यस्थता विवाद का विषय नहीं था, बोली नहीं लगाने के रूप में देय या देय नहीं ऊर्जा शुल्कों से संबंधित किसी भी अवलोकन को हटाने की मांग करे। विद्युत बोर्ड के लिए यह तर्क देना अनुज्ञेय नहीं होगा कि मध्यस्थ ऊर्जा शुल्क के लिए भी पुरस्कार पारित कर सकता था। मैं रुपये की राशि निर्धारित करने वाली आधिकारिक परिसमापक की रिपोर्ट की पुष्टि करता हूं। 6.61 लाख रुपये के रूप में देय वैध होने के लिए और मध्यस्थ के पुरस्कार में या ऊर्जा शुल्क से संबंधित न्यायनिर्णायक निकायों के क्रमिक स्तरों में कोई भी अवलोकन खाली हो जाएगा। यदि विद्युत बोर्ड को ऊर्जा प्रभारों के संबंध में कोई स्वतंत्र दावा करना है, तो कानून में स्वीकार्य होने पर ऐसी कार्रवाई का सहारा लेना उनके लिए खुला होगा। हालांकि, मैं निर्देश देता हूं कि रु। पुरस्कार द्वारा निर्धारित और केवल सरकारी परिसमापक के समक्ष निर्णय किए गए 6.61 लाख रुपये का भुगतान कंपनी द्वारा कानूनी रूप से देय मांग शुल्क के रूप में किया जाना आवश्यक है, जिसमें समापन के आदेश की तारीख तक का ब्याज शामिल है।

(22) C.A. नं. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण को आगे बढ़ाने की अनुमति की मांग करने वाले 2008 के 454 का उपरोक्त पंक्तियों पर निपटारा किया जाता है कि अतिरिक्त न्यायाधीश का आदेश अधिकारिता के बिना है जैसा कि समापन के आदेश के बाद पारित किया गया था, लेकिन एच. एस. ई. बी. अभी भी आधिकारिक परिसमापक द्वारा निर्धारित तरीके से ऊपर उल्लिखित राशि का हकदार होगा, जो मध्यस्थ द्वारा पहली बार में पाई गई राशि की पुष्टि करता है।

बारहवीं। एच. एफ. सी. से आपत्ति और अन्य सभी विभिन्न दावों के संबंध में उत्तरः

(23) एच. एफ. सी. से आ रही आपत्ति, जो तीसरा प्रत्यर्थी है, रुपये के संवितरण के संबंध में है। भारतीय स्टेट बैंक को 4.05 करोड़ रुपये, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक अन्य कंपनी के खिलाफ दावा भी शामिल है, यहां तक कि भारतीय स्टेट बैंक को परिसमापन में कंपनी द्वारा देय राशि के अलावा। कंपनी के पूर्व निदेशकों का तर्क कि एच. एफ. सी. ने स्वयं ओ. टी. एस. में रु. 2.50 लाख विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। एच. एफ. सी. ने रुपये की मांग की थी। 85,57,600 1 अक्टूबर, 2007 से प्रभावी ब्याज के साथ। एच. एफ. सी. स्वयं प्लॉट नं. 1 के संबंध में पहला सुरक्षित लेनदार था। 136 और भारतीय स्टेट बैंक केवल दूसरा सुरक्षित लेनदार था।

(24) सरकारी परिसमापक की रिपोर्ट में इस तथ्य को दर्ज किया गया है कि न्यायालय ने रुपये के वितरण का निर्देश दिया था। कंपनी के खिलाफ दावों के पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में भारतीय स्टेट बैंक को 4.05 करोड़ रुपये। 10,82,255 औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय-II के आदेश के आधार पर कामगारों के दावों के अधिनिर्णय की संतुष्टि में संदेय राशि के रूप में। चार्टर्ड एकाउंटेंट M/s A.K की रिपोर्ट से सहायता प्राप्त करना। चड्डा एंड कंपनी, आधिकारिक परिसमापक ने एचएफसी के दावों की जांच की है-उसके 26 मई, 2005 के दावे के अनुसार, आयकर विभाग ने 23 मार्च, 2006 के अपने दावे के अनुसार,

आबकारी कराधान कार्यालय ने 31 मार्च, 2008 के अपने दावे के अनुसार और एचएसईबी ने 27 मई, 1996 के अपने दावे के अनुसार। न्यायनिर्णित दावे को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया हैः—

ऋणदाता का नाम	दावे की राशि	न्यायनिर्णयन
हरियाणा वित्तीय निगम	Rs. 60,69,525	Rs. 13,92,223
आयकर	Rs. 35,31,993 (दावे के साथ संलग्न अनुसूची में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों की बकाया राशि 1,56,76,590 रुपये है)	Rs. 7,97,938
उत्पाद एवं कराधान कार्यालय	Rs. 15,89,765	Rs. 15,89,765
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	Rs. 85,20,844	Rs. 6,61,000

(25) कि कंपनी के खाते में सरकारी परिसमापक के कार्यालय में उपलब्ध निधि (परिसमापन में) निम्नानुसार हैः- 31 मार्च, 2008 को उपलब्ध निधि रु। 75,37,054 (including FDRs)

(26) कार्यालय i.e के साथ उपलब्ध धन से बाहर। एक लाख रु. 75,37,054, ओएल को निम्नलिखित परिसमापन व्यय का भुगतान करना हैः -

परिसमापन व्यय	रुपये की राशि
प्रारंभिक व्यय रुपये से प्राप्त हुआ। 20,000 एचएफसी और एसबीआई रु. 10,000 प्रत्येक	Rs 20000/-
तदर्थ अग्रिम केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ	Rs 41000/-
खाता शीर्ष 104 के तहत आधिकारिक परिसमापक आयोग	Rs 6,57992/-
विज्ञापन एजेंसी को देय विज्ञापन व्यय अर्थात्, मैसर्स निकिता मीडिया सर्विसेज	Rs 178555/-
मूल्यांकन व्यय	Rs 79249/-
चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोफेशनल फीस	Rs 44994/-
कुल	Rs 1021740/-

(27) कि उपरोक्त खर्चों के अलावा रुपये की राशि के लिए बयाना धन। 25,00,000 भी जमा पड़े हैं जो इस कार्यालय के पास उपलब्ध कुल धनराशि में शामिल थे। मेसर्स फ्रेशनेस कोटिंग्स (पी) लिमिटेड द्वारा 14 मार्च, 2006 को प्लॉट नं. 142, सेक्टर 24, फरीदाबाद और इस संबंध में बिक्री की पुष्टि इस माननीय उच्च न्यायालय में C.A. के साथ लंबित है। नं. 2006 का 296 और 10 अप्रैल, 2008 के लिए नियत।
(28) कि चार्टर्ड एकाउंटेंट के मूल्यांकन शुल्क और पेशेवर शुल्क के भुगतान के संबंध में इस कार्यालय ने पहले ही C.A. वाले आवेदन को स्थानांतरित कर दिया है। एन. पी. विक्रय कार्यवाही से संदाय फीस करने के लिए इस माननीय न्यायालय की अनुमति का अनुरोध करने वाली 2008 की धारा 172-73 भी लंबित है और 25 अप्रैल, 2008 के लिए नियत है।

(29) कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यालय के पास उपलब्ध कुल निधियों में से रु। 75,37,054, ओएल को रुपये के परिसमापन व्यय का भुगतान करना है। 10,21,740 और रु। 25,00,000 अर्नेस्ट मनी के रूप में झूठ बोल रहे हैं। इस राशि के लिए, मैं निर्देश देता हूं कि मेसर्स फ्रेशनेस कोटिंग्स लिमिटेड द्वारा बोली के रूप में संपत्ति के मूल्य पर 5% की अतिरिक्त राशि का भुगतान खरीदार की कोई गलती नहीं होने पर संपत्ति के नुकसान के लिए सोलेशियम के रूप में किया जाए। यह अतिरिक्त भुगतान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 89 के तहत निहित सिद्धांतों को लागू करके किया जाता है, जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए इक्विटी के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जो उस संपत्ति से वंचित है जिसे वह वैध रूप से खरीदने की उम्मीद करता है और बिक्री में भाग लेने के लिए समय और संसाधन लेता है और सफल बोलीदाता घोषित करता है।

एक्सएफएफएल। वैधानिक आवश्यकताओं का कथित गैर-अनुपालनः

(30) अपनी रिपोर्ट के रूप में ओएल की आपत्तियों के अलावा, पुनरूद्धार के लिए याचिका पर सभी प्रत्यर्थियों की ओर से एक स्वर में आपत्तियां यह हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 391 से 394 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और बैठकों को संबंधित धाराओं के तहत विचार किए गए तरीके से करने का निर्देश नहीं दिया गया है। धारा 391 से धारा 394 के तहत प्रावधानों के पक्षकारों के कहने पर प्रस्तावों के लिए किसी भी व्यवस्था पर उचित विचार करने की आवश्यकता होती है, इस तरह के निर्णय से तुरंत प्रभावित होने की संभावना है। कंपनी के सभी शेयरधारकों ने स्वयं याचिका दायर की है और इसलिए, ऐसे शेयरधारकों की अलग-अलग बैठकें अनावश्यक हो जाती हैं। इसी तरह जो याचिका आई है, जिसे पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, उस पर इस न्यायालय द्वारा आधिकारिक परिसमापक की रिपोर्ट में निर्दिष्ट दावेदारों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए याचिका में ही निर्णय लिया गया है। ऐसे निदेशकों की कोई भी बैठक बुलाने की आगे कोई आवश्यकता नहीं होगी। एच. एफ. सी. को छोड़कर सभी सुरक्षित लेनदारों के दावों को पूरा कर लिया गया है और दावों पर आधिकारिक परिसमापक द्वारा भी निर्णय लिया गया है। इसलिए, सुरक्षित लेनदारों की किसी भी बैठक के आयोजन के लिए कोई विशिष्ट निर्देश नहीं हो सकता है। इस मामले में निर्णय से प्रभावित अन्य व्यक्तियों के दावों पर भी निर्णय लिया गया है।

एक्सटीवी। अंतिम स्थितिः

संक्षेप में, विभिन्न दावेदारों के संबंध में इस न्यायालय की व्यवस्था इस प्रकार हैः- (i) पुनरूद्धार के लिए याचिका का आदेश दिया गया है जैसा कि अनुरोध किया गया है; (ii) 5 वां प्रतिवादी, मेसर्स साकेत स्टील्स (पी) लिमिटेड रुपये का भुगतान करने का हकदार होगा। 1,00,000 और रु। कंपनी द्वारा राशि प्राप्त होने की संबंधित तारीखों से @12% ब्याज के साथ 50,000।

(iii) मेसर्स फ्रेशनेस कोटिंग्स (पी) लिमिटेड के पक्ष में बिक्री की पुष्टि के लिए आवेदन की अनुमति नहीं है, लेकिन मेसर्स फ्रेशनेस कोटिंग्स (पी) लिमिटेड को उस राशि के रिफंड का अधिकार होगा, जो अदालत में

जमा की जाती है और नीलामी में बोली के रूप में राशि का 5% की राशि प्राप्त करती है और जिसके लिए बिक्री की पुष्टि मांगी गई है।

(iv) आधिकारिक परिसमापक द्वारा तय की गई और रिपोर्ट में व्यक्त की गई राशियों को अनुमोदित किया जाता है और रिपोर्ट में विस्तृत राशियां कंपनी द्वारा देय हो जाएंगी।

(v) विद्युत बोर्ड को देय ओएल द्वारा निर्धारित राशि के अलावा, एचएसईबी और उसके उत्तराधिकारी डीएचबीवीएनएल के पास ऊर्जा प्रभारों के संबंध में स्वतंत्र रूप से एक उपाय होगा और इस संबंध में मध्यस्थ या आधिकारिक परिसमापक की टिप्पणियां खाली हो जाएंगी।

(vi) OL के साथ जमा की गई राशि में से और किसी भी कमी के लिए, याचिकाकर्ता इस आदेश की तारीख से 12% p.a पर ब्याज के साथ संबंधित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। देय और देय राशि के लिए कंपनी की शेष संपत्ति पर एक शुल्क होगा।

(31) याचिका और आवेदनों का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। कोई खर्च नहीं

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं कि या जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा